4.5.18 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार हाजिर। संक्षेप में मामला के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चौंड्या तहसील हिण्डोली के प्रार्थी गणपत पुत्र हरिलाल का दत्तक पुत्र के रूप में नामान्तरण पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम चौंड्या के खाता सं. 36-23 किता 3 रकबा 10-19-10 गणपत पुत्र हरिलाल की खातेदारी के है तथा खाता सं. 301-32 किता 3 रकबा 3-14-10 बीघा मोहन, मूलचन्द हरिलाल गणपत पिता गिरधारी व जगदीश पुत्र रामलाल की खातेदारी के दर्ज था प्रार्थी को गणपत ने गोद लिया था तथा बचपन से गणपत के साथ रहकर सेवा आदि करता चला आ रहा था, दिनांक 11.1.2011 को गोदनामा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने तहरीर करवाया था, इसमें प्रार्थी के पिता की भी सहमति थी।

तत्पश्चात दिनांक 30.9.2015 को गणपत की मृत्यु हो गयी। प्रार्थी ने नामा० करने हेतु तहसीलदार को निवेदन किया तो न्यायालय आदेश लेकर आने हेतु कहा

हुए।

अतः प्रार्थी को अप्रार्थीगण ने दिनांक 21.4.16 को तहसील के समक्ष बयान देने की कहा तो इन्कार कर दिया है। अतः मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करने का निवेदन किया।

मैंने प्रार्थी के वकील की बहस सुनी। पत्रावली के उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया प्रकरण के कानूनी बिन्दु विचारित कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थी के रास्ते कारत उपयोग उपभोग में बाधा मूल वाद के निस्तारण तक नहीं करें। हक अधिकार का प्रश्न मूल वाद में तय होगा। यह आदेश पक्ष हक अधिकार का अंतिम निर्धारण नहीं करता है। मूल वाद के निर्णय तक रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले आम लोकअदालत में सुनाया गया।

अध्यक्ष
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

सदस्य
लोक अदालत
सरवाड

सदस्य
लोक अदालत
सरवाड